जो बतायेंगे कि वह एग्रीकल्चरिस्ट के बारे में क्या सोचते हैं ?

यह एग्रीकल्चर का सवाल है, आप इसे थोड़ा समझिये... (व्यवधान)

मैं उप-प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा—वह खुद भी किसान हैं—कि क्या 70 रुपये प्रति क्विंटल कीमत जो प्याज की है उन्होंने तय की है, वह अपने खुद दिमाग से सोच कर इस सदन को बतायें कि क्या यह किसान के लिए लाभप्रद है ?

इसके साथ ही दूसरी चीज जो मैं उप-प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वह यह है कि... (व्यवधान)

श्री देवी लाल: यह तो स्पीच दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह : दूसरी बात जो मैं उप-प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा वह यह है कि किसी चीज के बारे में भी गवर्नमेंट जो सपोर्ट-प्राइस तय करती है, जैसे चने के बारे में 350, 375 रुपये तय किया, लेकिन सिरसा में चना 600 रुपये बिक रहा है, सोनीपत में 700 रुपये बिक रहा है, तो इसी तरह से मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसी तरह से इन्होंने तमाम ग्रेंस की और वेंजिटेबल्स की सपोर्ट-प्राइस लाभप्रद तय की है। उप-प्रधान मंत्री जी 70 रुपये के बारे में पाजिटिव्ली बयान देंगे कि यह किसान के लिए लाभप्रद है कि नहीं है ?

श्री देवी लाल : सभापति जी, जिस प्याज का यह जिक्र करते हैं, हमारे भिवानी, हरियाणा में प्याज होता ही नहीं है। प्याज होता है गुजरात और महाराष्ट्र में, और वहां मैं चार दफा हो आया हूं। वहां के हालात समझ करके मैंने यह फैसला किया है कि गुजरात से महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले जो लीडर हैं, उनको प्रेजीडेंट बनाया जाए और मुख्तलिफ सूबों को मिला करके एक कमेटी बनाई है वह इस बात का फैसला करेगी।... (व्यवधान)

श्री सभापति आप अध्ययन कर रहे हो कि लाभप्रद प्राइस मिले ?

श्री देवी लाल : मैं वही जवाब दे रहा हूं कि लाभप्रद भाव नहीं हैं। वह होने चाहिए। इसके लिए कमेटी फैसला करेगी। उसके साथ-साथ हम भी कोशिश कर रहे हैं ताकि किसान को ज्यादा-से-ज्यादा फायदा पहुंचे।

श्री सभापति : वह जल्दी-से-जल्दी कोशिश करेंगे कि अच्छी लाभप्रद प्राइस मिले।

Workers' participation in management

*63. SHRI P. N. SUKUL : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether any discussions were held recently with representative bodies of commerce and industry regarding workers' participation in management in the industrial sector or whether any seminars were held on the subject;

(b) if so, the results thereof ; and

(c) whether Government propose to introduce any legislation on the subject ?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

A National Seminar on Labour Participation in Management was held in New Delhi on 8-9 th January, 1990. It was attended by a wide cross section of persons from public life and repesentatives of employers' and workers' organisa-

tions, State Governments, Members of Parliament academicians and some international experts. The views expressed, in main were as follows:—

(i) There was a general endorsement that workers participation in management is desireable and earnest efforts need be made in this direction.

(ii) It should be ensured that the participative management does not conflict with the basic rights of collective bargaining.

(iii) It was generally felt that legislation would facilitate implementation of the participative managment scheme. It was however, uderlined that such legislation should be flexible to account for diversities between industries. It should also to the extent possible, be enabling and not prescriptive.

(iv) In regard to the mode of representation, secret ballot among all workers to elect workers' representative was advocated by trade union representatives who felt that secret ballot among all the workers should be used to determine the repr esentative charcher of the trade unions on the basis of votes cast in favour of each union. The trade unions getting less than a certain prescribed minimum percentage of total votes may not be represented on the participative forums. The eligible trade unions should have the right to nominate their representatives in proportion to their strength as reflected by the votes cast in their favour.

(v) It was felt that participative formus should exist at all level - namely shop floor level, plant level and enterprise level.

(vi) The scheme should be made applicable to establishments having certain minimum number of workers.

(vii) Any scheme seeking to give workers a share in equity of the enterprise should be voluntary and quite indepenaent of the scheme of workers' participation in management.

Apart from the National Seminar mentioned above, regional seminars have already been held at Trivandrum and Madras on 7-2-90 and 11-3-90 respectively and a proposal to introduce l legislation on the subject is under examination.

SHRI P.N. SUKUL : Sir, inaugurating the National Seminar on the Participation of Labour in Management held on January 8, the Prime Minister said that there were certain shortcomings in the existing scheme of workers' participation in management as introduced in 1983. I would like to know from the Labour Minister what these shortcomings are and how they are proposed to be dispensed with.

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति महोदय, जो इनका प्रश्न है, वह प्रश्न बहुत ही गंभीर है और जो इन्होंने सप्लीमेंटरी की है, उसका जवाब बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है । छोटा जवाब में मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी तक जो लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का कानून रहा है, वह सिर्फ एक कागज पर रहा है, एक खानापूरी रही है । जो वर्तमान सरकार की नीति है, वह उसको एफेक्टिव बनाने की नीति है । आपने 83 का कानून देखा होगा । सन 83 में यह सिर्फ एक जगह लागू हो पाया, वह भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी में । सिर्फ एक जगह पूर्णरूपेण लागू हुआ और वह भी बोर्ड लेवल पर । परन्तु यदि माननीय

सदस्य यदि हमारे विवरण में गए होंगे तो हमने उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो लेबल पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होगा वह एफेक्टिव होगा । एफेक्टिव का मतलब उसमें कानूनी बेस भी रहेगा, उसके लेबर प्रतिनिधि का चुनाव होगा । वह गुप्त मतदान के द्वारा होगा । हम उसे प्रत्येक लेबल पर लागू करेंगे—चाहे वह फ्लोर लेबल पर हो, प्लान्ट लेबल पर हो या बोर्ड लेबल पर हो और फिर हम पब्लिक सेक्टर से प्राईवेट सेक्टर तक भी जाएंगे । हमने यह भी कहा है कि इंटक के भी साथी थे और तमाम साथी थे । हमने यह भी कहा है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है मजदूर का लेबर यूनियन का, उससे उसका कहीं एंक्रोचमेंट नहीं होता है।

यदि आप समझते हैं कि 83 सफिसियेंट है तो हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के नाम पर जितने भी कानून बनाए गए या तो वह कानून बिल्कुल अधूरे थे या पेपर पर थे। उसका हकीकत से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ खानापूरी की गयी थी । हम इसको एफेक्टिव बनाना चाहते हैं । इसी के लिए 8-9 जनवरी को दिल्ली में सेमिनार हुआ, तिवेंद्रम में किया है, मद्रास में किया है । हम लखनऊ में, बंबई में करने जा रहे हैं जिससे कि मजदूरों को सही मायने में सहभागिता मिल सके।

SHRI P.N. SUKUL : Mr. Chairman, Sir, I am sorry that the honourable Minister has only said that what his Government is going to do but did not tell us exactly what the shortcomings are. However, my second supplementary is this : In that seminar the Prime Minister has also said that at lower levels such as factory and shopfloor, there are many cases where participation have been constituted but in a large number of cases the real participation spirit is missing. In this statement I see that under item (iii) it has been said that "It was generally felt that legislation would facilitate implementation of the participative management scheme". I would like to know from the honourable Labour Minister whether this real participative spirit can be created by legislation and, if not, how the Government proposes to create the real participative spirit.

श्री राम विलास पासवान : सर, मैंने तो आलरेडी कहा है कि हम संसद में विधेयक लाने जा रहे हैं और विधेयक हम इसी सेसन में लाने जा रहे हैं । यदि कोई खामी होगी और माननीय सदस्य बताएंगे तो मैं सरकार की तरफ से पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मजदूर के हक में और लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के लिए जितना आपका सुझाव आएगा, हम उस पर न सिर्फ विचार करेंगे बल्कि हम उसको मानने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट सिर्फ खाना-पूरी न हो, सिर्फ कागज पर न हो बल्कि जो मजदूर इस देश को ऊंचा उठाने में अपना योगदान देता है, इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में जिसका हाथ है, इंडस्ट्रीज को बिल्डअप करने में जिसका हाथ है, उसका सही मायने में पार्टिसिपेशन हो, यह हमारी मंशा है । हम विधेयक यहां लाएंगे और जो आपका उस पर सुझाव होगा, हम उस पर विचार करेंगे।

SHRI V. NARAYANASAMY : Mr. Chairman, Sir, the move to bring workers in policy decision-taking will be good for a healthy democratic set-up. In 1983 the scheme was introduced, and its concentration is on the pubic sector. As far as the pubic secter is concerned, my experience is that even at shop-floor eve committees have not been constituted in some of the pubic scotor undertakings.

MR. CHAIRMAN : He is bringing ancthor legisation.

SHRI V. NARAYANASAMY : I am coming to it.

Sir, the Minister said that only in the Indian Airlines participative management has been accepted. I

would like to bring to the notice of the hon. Minister that even in the coal industry it was introduced by Mr. Vasant Sathe when he was the Minister of Coal and Mines.

My specific question to the hon. Minister is this. It is easy to bring a legislation. In the public sector the scheme can be implemented. But as far as the private sector is concerned, I would like to know from the Minister what policies they are evolving to implement the scheme to have workers' participation in management because it is vital that there should be participative managment in the private sector and that on the board of management workers should be there.

श्री सभापति : प्राइवेट सेक्टर के लिए आप क्या करने वाले हैं?

श्री राम विलास पासवान : सर, मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे माननीय सदस्य हैं, जैसे हम होमवर्क करके आते हैं, माननीय सदस्य को भी होमवर्क करके आना चाहिए। चेयरमेन सर, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में जो माननीय सदस्य की भावना है, उससे सौ कदम आगे हम जा रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा है कि हम पब्लिक सेक्टर से शुरू करेंगे, लेकिन जब कानून बनेगा तो पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर दोनों के लिए होगा।

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, he is telling about home-work. I would like to know what guidelines they have evolved about the private sector. The Minister is evading answer. I want a specific answer. I go a step further and ask whether any penal provision will be brought in to punish the private sector undertakings if they are not implementing it. Let him make an open statement. I do not want all jugglerics.

श्री राम विलास पासवान : चेयरमेन सर, यह जो प्रश्न है, इसे जरा पढ़िए, इसमें पूछा गया है– क्या औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंध में कर्मचारों की सहभागिता के बारे में में वाणिज्य और उद्योग के प्रतिनिधि निकायों के साथ हाल में कोई विचार-विमर्श किया गया था अथवा इस विषय पर कोई विचार-गोष्ठियां आयोजित की गई थीं? यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और क्या सरकार इस विषय पर कोई कानून बनाने का विचार रखती है? जो विचार-विमर्श हुए, जो सेमिनार में चीज़ सामने आई हैं, उसको हमने आपके सामने रखा है। जहां तक प्रश्न है सरकार कानून बनाएगी, तो हमने कहां है कि हम बनाएंगे और विधेयक यहां ला रहे हैं। जब विधेयक आपके सामने लाएंगे तो आपका जो सुझाव होगा, उस पर विचार करेंगे। पहले सरकार को विधेयक लाने दीजिए।

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, what is this?

MR. CHAIRMAN : The answer is perfect.

SHRI SUNIL BASU RAY : Participation of workers in management is quite long overdue. But before the Bill is prepared, I want to know whether the Government has taken into consideration the experience which we have in implementing the Factories Act and the Mines Act. So far as workers' participation at the shop floor management and safety management questions are concerned, this is one question.

The other question is whether the Government is ready to say that the workers' representatives who will be in the management after election will have equal rights with other participants in management.

These are my two questions.

श्री राम विलास पासवान : यह जब विधेयक आएगा, उस पर हम लोग जरूर विचार करेंगे।